



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 179]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

फा. सं. पी-15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2015 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. पी. 15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 जून, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2017 और उसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 के उपविनियम 2.1.1 के खंड 2 की सारणी में,-

(1) क्रम सं. 1 सीसा के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ (2)	भारानुसार भाग प्रति दस लाख (3)
“वर्गीकृत उपोष्णीय फल, खाद्य छिलका	0.1
वर्गीकृत उपोष्णीय फल, अखाद्य छिलका	0.1
बदरीफल और अन्य छोटे फल	0.2
निंबुकुल फल	0.1
सेबीय फल	0.1
गुठली फल	0.1
ब्रासिका सब्जियां, केले को छोड़कर	0.3
कंद सब्जियां	0.1
फलदार सब्जियां, कद्दू	0.1
कद्दू से भिन्न फलदार सब्जियां (मशरूम को छोड़कर)	0.1
पत्तेदार सब्जियां (जिसमें ब्रासिका पत्तेदार सब्जियां भी हैं किन्तु पालक सम्मिलित नहीं है)	0.3
फलीदार सब्जियां	0.2
दलहन	0.2
मूल और कंद सब्जियां	0.1
डिब्बाबंद फ्रूट कॉकटेल	1
डिब्बाबंद अंगूरफल	1
डिब्बाबंद मंदारिन संतरा	1
डिब्बाबंद आम	1
डिब्बाबंद अनन्नास	1
डिब्बाबंद रसभरी	1
डिब्बाबंद स्ट्राबेरी	1
डिब्बाबंद उष्णकटिबंधी फल सलाद	1
मुर्ब्बा (फल परिरक्षी) और जेली	1
आम चटनी	1
जैतून पट्टी	1
डिब्बाबंद शतवारी	1
डिब्बाबंद गाजर	1
डिब्बाबंद हरी बीन्स और डिब्बाबंद सिक्थ बीन्स	1
डिब्बाबंद हरी मटर	1
डिब्बाबंद सूखी प्रसंस्कृत मटर	1
डिब्बाबंद मशरूम	1
डिब्बाबंद पालमिटो	1
डिब्बाबंद भुट्टा (मीठी मकई)	1
डिब्बाबंद टमाटर	1
ककड़ी का अचार (ककड़ी अचार)	1
प्रसंस्कृत टमाटर सांद्र	1.5
फल रस (जिसमें शफतालू; पीने के लिए तैयार भी हैं)	0.05
धान्य अन्न, कूटू, केनिहुआ और क्विनोया को छोड़कर	0.2
डिब्बाबंद चेस्टनट और डिब्बाबंद चेस्टनट प्यूरी	1
पशु, भेड़ और सुअर का मांस (मांस से प्राप्त चर्बी को भी लागू होता है)	0.1
कुक्कुट मांस	0.1
पशु का बचा हुआ खाद्य हिस्सा	0.5
सुअर का बचा हुआ खाद्य हिस्सा	0.5
कुक्कुट का बचा हुआ खाद्य हिस्सा	0.5
खाद्य वसा और तेल (व्यष्टिक मानकों के अंतर्गत न आने वाले खाद्य वसा और तेल)	0.1
मछली	0.3

कृत्रिम मक्खन	0.1
मिनारीन	0.1
नामित पशु चर्बी (सुअर की चर्बी, विदीर्ण सुअर की चर्बी, प्रीमियर जूस और खाने योग्य चर्बी)	0.1
जैतून तेल, रिफा [डि]	0.1
जैतून तेल, विशुद्ध	0.1
जैतून, अवशिष्ट तेल (जैतून पोमेष तेल)	0.1
कुक्कुट चर्बी	0.1
वनस्पति तेल, अशोधित (मटर, बाबशु, नारियल, बिनौला, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम, तिलहन, सेफ्लावर बीज, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के तेल और पामोलिन, स्टेरिन और सुपरोलिन और अन्य तेल किन्तु कोका मक्खन को छोड़कर)	0.1
वनस्पति तेल, खाद्य (मटर, बाबशु, नारियल, बिनौला, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम, तिलहन, सेफ्लावर बीज, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के तेल और पामोलिन, स्टेरिन और सुपरोलिन और अन्य तेल किन्तु कोका मक्खन को छोड़कर)	0.1
दुग्ध (अंशतः या पूर्णतः निर्जलित दुग्धों को सांद्रण गुणक लागू होता है)	0.02
गौण दुग्ध उत्पाद (उपभुक्त रूप में)	0.02
प्राकृतिक खनिज जल, मि.ग्रा/लि. में अभिव्यक्त	0.01
शिशु आहार (उपयोग के लिए तैयार)	0.02
नमक, खाद्य श्रेणी	2.0
वा [डि]	0.2
वल्कवत् जीव (क्रस्टेशियन्स)	0.5
शीर्षपाद जीव	1.0
द्विकपाटी मोलस्क	1.5";

(2) क्रम संख्यांक 3, आरसेनिक के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ	भारानुसार भाग प्रति दस लाख
(2)	(3)
“खाद्य वसा और तेल (व्यष्टिक मानकों के अंतर्गत न आने वाले खाद्य वसा और तेल)	0.1
कृत्रिम मक्खन	0.1
मिनारीन	0.1
नामित पशु चर्बी (सुअर की चर्बी, विदीर्ण सुअर की चर्बी, प्रीमियर जूस और खाने योग्य चर्बी)	0.1
जैतून तेल, रिफा [डि]	0.1
जैतून तेल, विशुद्ध	0.1
जैतून, अवशिष्ट तेल (जैतून पोमेष तेल)	0.1
वनस्पति तेल, अशोधित(मटर, बाबशु, नारियल, बिनौला, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम, तिलहन, सेफ्लावर बीज, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के तेल और पामोलिन, स्टेरिन और सुपरोलिन)	0.1
वनस्पति तेल, खाद्य (मटर, बाबशु, नारियल, बिनौला, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम, तिलहन, सेफ्लावर बीज, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के तेल और पामोलिन, स्टेरिन और सुपरोलिन)	0.1
प्राकृतिक खनिज जल, मि.ग्रा/लि. में अभिव्यक्त	0.01
नमक, खाद्य श्रेणी	0.5
मछली और वल्कवत् जीव (क्रस्टेशियन्स)	76
मोलस्क	86";

(3) क्रम संख्यांक 4, टिन के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ	भारानुसार भाग प्रति दस लाख
(2)	(3)
पेय से भिन्न डिब्बाबंद खाद्य	250
डिब्बाबंद पेय	150
डिब्बाबंद निंबुकुल फल	250
डिब्बाबंद गुठली फल	250
डिब्बाबंद सब्जियां	250

डिब्बाबंद फ्रूट कॉकटेल	250
डिब्बाबंद आम	250
डिब्बाबंद अनन्नास	250
डिब्बाबंद रसभरी	250
डिब्बाबंद स्ट्राबेरी	250
डिब्बाबंद उष्णकटिबंधी फल सलाद	250
आम चटनी	250
जैतून पट्टी	250
डिब्बाबंद मशरूम	250
डिब्बाबंद टमाटर	250
ककड़ी अचार	250
प्रसंस्कृत टमाटर सांद्र	250
डिब्बाबंद चेस्टनट और चेस्टनट प्यूरी	250
पका हुआ संसाधित बारीक टुकड़ों में कटा मांस (टिनप्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	250
पका हुआ संसाधित बारीक टुकड़ों में कटा मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
पका हुआ संसाधित पुट्टा (टिनप्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
पका हुआ संसाधित पुट्टा (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
पका हुआ संसाधित सुअर का स्कंध (टिनप्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
पका हुआ संसाधित सुअर का स्कंध (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
नमक लगाया हुआ बीफ मांस (टिनप्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
नमक लगाया हुआ बीफ मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
उपाहार मांस (टिनप्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
उपाहार मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
डिब्बाबंद मछली उत्पाद	200”;

(4) क्रम संख्यांक 6, केडमियम के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ (2)	भारानुसार भाग प्रति दस लाख (3)
“ब्रासिका सब्जियां	0.05
कंद सब्जियां	0.05
फलदार सब्जिया, कद्दू	0.05
कद्दू से भिन्न फलदार सब्जियां (टमाटर और खाद्य फफूंद को छोड़कर)	0.05
पत्तेदार सब्जियां	0.2
फलीदार सब्जियां	0.1
आलू, छिलका उतरे हुए	0.1
दलहन, सूखा सोयाबीन को छोड़कर	0.1
मूल और कंद सब्जियां, आलू और सिलिरिक को छोड़कर	0.1
डंठल और डंडी सब्जियां	0.1
धान्य अन्न, कूटू, केनिहुआ और क्विनोया के सिवाय (गेहूं और चावल को छोड़कर; तथा भूसी और अंकुर)	0.1
चावल, परिष्कृत	0.4
गेहूं	0.2
प्राकृतिक खनिज जल, मि.ग्रा./लि. में अभिव्यक्त	0.003
नमक, खाद्य श्रेणी	0.5
मछली	0.3
वल्कवत् जीव (क्रस्टेशियन्स)	0.5
शीर्षपाद जीव	2.0
द्विकपाटी मोलस्क	2.0”;

(5) क्रम संख्यांक 7, पारद के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ	भारानुसार भाग प्रति दस लाख
--------------	----------------------------

(2)	(3)
“प्राकृतिक खनिज जल, मि.ग्रा./लि. में अभिव्यक्त	0.001
नमक, खाद्य श्रेणी	0.1
गैर-परभक्षी मछली, वल्कवत् जीव, शीर्षपाद जीव, मोलास्क	0.5
परभक्षी मछली (टूना, मर्लिन, तेगामछली, लिास्मोब्रांच)	1.0”;

(6) क्रम संख्यांक 9, क्रोमियम के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य पदार्थ	भारानुसार भाग प्रति दस लाख
(2)	(3)
“सभी मत्स्य उत्पाद	12”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन- III/4/असा./62 (187)]

टिप्पण – मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- फा. सं. 1-12/एससीआई. पैनल/(अधिसूचना)/एफ.एस.एस.ए.आई./2012, तारीख 3 दिसम्बर, 2014;
- फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-99/1/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2009, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-99/4/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2014, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-10(6)/मानक/एस.पी.(मछली और मत्स्य उत्पाद)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016 और
- फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 जनवरी, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2016

F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2015 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No.P.15025/264/13-PA/FSSAI dated the 5th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th June, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Third Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on or after 1st January, 2017.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1, in sub-regulation 2.1.1, in clause 2, in the table,-

(1) against serial number 1. Lead, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food (2)	Parts per Million by weight (3)
“Assorted subtropical fruits, edible peel	0.1
Assorted subtropical fruits, inedible peel	0.1
Berries and other small fruits	0.2
Citrus fruits	0.1
Pome fruits	0.1
Stone fruits	0.1
Brassica vegetables excluding Kale	0.3
Bulb vegetables	0.1
Fruiting vegetables, cucurbits	0.1
Fruiting vegetables other than cucurbits (excluding mushrooms)	0.1
Leafy vegetables (including brassica leafy vegetables but excluding spinach)	0.3
Legume vegetables	0.2
Pulses	0.2
Root and tuber vegetables	0.1
Canned fruit cocktail	1
Canned grapefruit	1
Canned mandarin oranges	1
Canned mangoes	1
Canned pineapple	1
Canned raspberries	1
Canned strawberries	1
Canned tropical fruit salad	1
Jams (fruit preserves) and jellies	1
Mango chutney	1
Table olives	1
Canned asparagus	1
Canned carrots	1
Canned green beans and Canned wax beans	1
Canned green peas	1
Canned mature processed peas	1
Canned mushrooms	1
Canned palmito	1
Canned sweetcorn	1
Canned tomatoes	1
Pickled cucumbers (cucumber pickles)	1
Processed tomato concentrates	1.5
Fruit Juices (including nectars, ready to drink)	0.05
Cereal grains, except buckwheat, canihua and quinoa	0.2
Canned chestnuts and canned chestnut puree	1
Meat of cattle, sheep and pig (also applies to fat from meat)	0.1
Poultry meat	0.1
Cattle, edible offal of	0.5
Pig, edible offal of	0.5
Poultry, edible offal of	0.5
Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)	0.1
Fish	0.3
Margarine	0.1
Minarine	0.1
Named animal fats (lard, rendered pork fat, premier jus and edible tallow)	0.1
Olive oil, refined	0.1
Olive oil, virgin	0.1
Olive, residue oil (olive pomace oil)	0.1
Poultry fats	0.1
Vegetable oils, crude (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed,	0.1

grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)	
Vegetable oils, edible (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)	0.1
Milks (A concentration factor applies to partially or wholly dehydrated milks.)	0.02
Secondary milk products (as consumed)	0.02
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.01
Infant formula (ready to use)	0.02
Salt, food grade	2.0
Wine	0.2
Crustaceans	0.5
Cephalopods	1.0
Bivalve Molluscs	1.5”;

(2) against serial number 3 relating to Arsenic, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food (2)	Parts per Million by weight (3)
“Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)	0.1
Margarine	0.1
Minarine	0.1
Named animal fats (lard, rendered pork fat, premier jus and edible tallow)	0.1
Olive oil, refined	0.1
Olive oil, virgin	0.1
Olive, residue oil (olive pomace oil)	0.1
Vegetable oils, crude (oils of arachis, babasu, coconut, cottonseed, grapeseed, maize, mustardseed, palm kernel, palm, rapeseed, safflower seed, sesameseed, soya bean, and sunflowerseed, and palm olein, stearin and superolein).	0.1
Vegetable oils, edible (oils of arachis, babasu, coconut, cottonseed, grapeseed, maize, mustardseed, palm kernel, palm, rapeseed, safflower seed, sesameseed, soya bean, and sunflowerseed, and palm olein, stearin and superolein).	0.1
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.01
Salt, food grade	0.5
Fish and Crustaceans	76
Molluscs	86”;

(3) against serial number 4 relating to Tin, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food (2)	Parts per Million by weight (3)
“Canned foods other than beverages	250
Canned beverages	150
Canned citrus fruits	250
Canned stone fruits	250
Canned vegetables	250
Canned fruit cocktail	250
Canned mangoes	250

Canned pineapple	250
Canned raspberries	250
Canned strawberries	250
Canned tropical fruit salad	250
Mango Chutney	250
Table olives	250
Canned mushrooms	250
Canned tomatoes	250
Pickled cucumber	250
Processed tomato concentrates	250
Canned chestnuts and chestnut puree	250
Cooked cured chopped meat (for products in tinsplate containers)	250
Cooked cured chopped meat (for products in other containers)	50
Cooked cured ham (for products in tinsplate containers)	200
Cooked cured ham (for products in other containers)	50
Cooked cured pork shoulder (for products in tinsplate containers)	200
Cooked cured pork shoulder (for products in other containers)	50
Corned beef (for products in tinsplate containers)	200
Corned beef (for products in other containers)	50
Luncheon meat (for products in tinsplate containers)	200
Luncheon meat (for products in other containers)	50
Canned fish products	200”;

- (4) against serial number 6 relating to Cadmium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food (2)	Parts per Million by weight (3)
“Brassica vegetables	0.05
Bulb vegetables	0.05
Fruiting vegetables, cucurbits	0.05
Fruiting vegetables other than cucurbits (excluding tomatoes and edible fungi)	0.05
Leafy vegetables	0.2
Legume vegetables	0.1
Potato, peeled	0.1
Pulses, excluding soybean dry	0.1
Root and tuber vegetables, excluding potato and celeriac	0.1
Stalk and stem vegetables	0.1
Cereal grains, except buckwheat, canihua and quinoa (excluding wheat and rice; and bran and germ	0.1
Rice, polished	0.4
Wheat	0.2
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.003
Salt, food grade	0.5
Fish	0.3
Crustaceans	0.5
Cephalopods	2.0
Bivalve Molluscs	2.0”;

- (5) against serial number 7 relating to Mercury, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food (2)	Parts per Million by weight (3)
“Natural mineral water, expressed in mg/L	0.001
Salt, food grade	0.1
Non-predatory fish, crustaceans, cephalopods, molluscs	0.5
Predatory Fish (Tuna, Marlin, Sword Fish, Elasmobranch)	1.0”;

6) against serial number 9 relating to Chromium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food	Parts per Million by weight
(2)	(3)
"All fishery products	12"

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer
[ADVT. III/4/Exty./62(187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No.1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3rd December, 2014;
- (ii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (iii) F.No.1-99/1/SP(contaminants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015;
- (v) F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4th January, 2016 and
- (vi) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 5th January, 2016.